40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जिला ब्यूरो हसमत हुसैन खान

भिनगा श्रावस्ती प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय थाना कोतवाली भिनगा मय पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति गुरुप्रसाद पुत्र सांवली प्रसाद नि0 लालपुर महरी थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती को ग्राम लालपुर महरी के किनारे बने टीनशेड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण 01 अदद स्टील की टंकी, 01 अदद स्टील की प्लेट मय प्लास्टिक की पाईप, 01 अदद पतीला, 01 अदद स्टील का लोटा, 01 अदद भगोना बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना को0 भिनगा पर मु0अ0सं0 0126/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया ।

गर्भाशय में शिशु के मृत्यु मामले में तीन वर्ष की सजा

अदालत से

- 2017 में आरोपी ने गर्भवती महिला की पिटाई की थी
- गंभीर चोट लगने से गर्भाशय में शिशु की मौत हो गई थी

श्रावस्ती। महिला की पिटाई करने पर गर्भाशय में शिशु की मृत्यु मामले के आरोपी को न्यायालय की ओर से तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडा निवासी आलम पुत्र रसीद ने वर्ष 2017 में एक महिला की लात मुक्कों से पिटाई की थी। महिला गर्भवती थी और गंभीर चोट लगने से महिला के गर्भशय में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी। महिला की शिकायत पर 20 अक्टूबर 2017 को मल्हीपुर थाने में आरोपी आलम के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।

मंगलवार को न्यायालय की ओर से आरोपी आलम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।